

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**रिट - सी संख्या - 711/2026**

विनोद कुमार

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गर्वित रामचंद्रन, मनोज कुमार सिंह, राम चंद्र श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या - 6**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया**

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिन की कार्यवाही के दौरान पक्षकारों की सूची में प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में 'अपर आयुक्त, तृतीय, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर' को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. वर्तमान रिट याचिका में नव-संयोजित प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पारित आदेश दिनांक 18.11.2025 को चुनौती दी गई है। उपर्युक्त आदेश द्वारा मामले को प्रतिवादी संख्या 4-उप-जिला अधिकारी (न्यायिक), तहसील एवं जनपद शामली के समक्ष वापस भेज दिया गया है।
3. कुछ तर्कों के पश्चात, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को सीमित कर दिया और यह प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 4, जिनके समक्ष प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा मामला रिमांड (वापस) किया गया है, उन्हें इसे शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2025 में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4, आदेश दिनांक 18.11.2025 के अनुसार

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, कानून के अनुसार सख्ती से और अति शीघ्र इस मामले में उचित आदेश पारित करें।

दिनांक: 16 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।